

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2015—आश्विन 17, शक 1937

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2015

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-2745.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशांसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्द्वारा, उनके नम के सम्मुख, दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:—

क्र.	नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री रामलाल यादव	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन श्रीमती दुर्गा डाबर के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री विवेक सिंह रघुवंशी.	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर, कु. भारती बघेल के स्थान पर.
3.	श्री राजदीप सिंह ठाकुर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, श्रीमती कनकलता सोनकर के स्थान पर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.

6155

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2015

फा. क्र. 3(ए)03-2014-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन में सचिव के दो रिक्त पदों पर निम्नलिखित सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी-3-12-2011-3-एक, दिनांक 3 सितम्बर 2011 द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है:—

1. श्री ज्योतेन्द्र कुमार वैद्य
2. श्री रामप्रकाश शरण

इस संबंध में होने वाले व्यय मांग संख्या-29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)-सचिवालय योजना-(9057)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11-वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकलनीय होगा.

यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद आदेश दिनांक 22 सितम्बर 2015 के अनुपालन में जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

## राज्य शासन राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

### शुद्धि-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2015

इस कार्यालय के राजस्व प्रकरण क्र. 6 अ-82 वर्ष 12-13 पत्र क्र. 426-भू-अर्जन-2013-तेंदूखेड़ा, दिनांक 1 जुलाई 2013 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन कालम नं. 4 लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा 2.260 हे. का प्रकाशन किया गया था. प्रकाशन में कालम नं. 4 में प्रकाशित रकबा 2.260 हे. के स्थान पर रकबा 2.467 हे. पढ़ा जावे. शेष अधिसूचना यथावत रहेगी.

### शुद्धि-पत्र

इस कार्यालय के राजस्व प्रकरण क्र. 6 अ-82 वर्ष 12-13 पत्र क्र. 22-भू-अर्जन-2013-तेंदूखेड़ा, दिनांक 13 जनवरी 2014 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन अर्जित रकबा 2.260 हे. का प्रकाशन किया गया था.

प्रकाशन में धारा 6 में प्रकाशित योग अर्जित रकबा 2.260 हे. के स्थान पर रकबा 2.467 हे. पढ़ा जावे. शेष अधिसूचना यथावत रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कोशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 सितम्बर 2015

क्र. 1566.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

### अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(1)	(2)
ग्राम देलाखारी, प.ह.नं. 18 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-382.343 हेक्टेयर.	ग्राम—कोहपानी, प.ह.नं. 18

क्र. 1567.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

### अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(1)	(2)
ग्राम गोनाबाड़ी, प.ह.नं. 25 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-157.317 हेक्टेयर.	ग्राम—बकाईनढाना, प.ह.नं. 25

क्र. 1568.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

### अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(1)	(2)
ग्राम बंधीबोदलकछार, प.ह.नं. 04 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-240.422 हेक्टेयर.	ग्राम—बंधीढाना, प.ह.नं. 04

## सार्वजनिक सूचना

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 सितम्बर 2015

रा. प्र. क्र. 03-अ-82-2014-2015-भू-अर्जन-2015.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा.2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के अन्तर्गत नवलगांव तीन फाटा जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में नवलगांव तीनफाटा जलाशय के नहर निर्माण की निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन.—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-केकडा ब.नं.-72 प.ह.नं.-73 रा.नि.मं. इकलबिहरी	श्रीमति भागवती पति मेरसिंह रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	191/3-4  कुल योग . .	0.110  <u>0.110</u>	नवलगांव तीनफाटा जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अधिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
झाबुआ, दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्र. 1137-भू-अर्जन-री-1-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ  
(ख) तहसील—पेटलावद

- (ग) ग्राम—रायपुरिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.388 हे.

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हे. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)		अर्जनीय भूमि का कुल रकबा (हे.में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	सिंचित	असिंचित	(7)	(8)
1.	अम्बाराम पिता नन्दा जाति कुलम्बी भूमि स्वामी.	775	0.750	0.290	-	0.290	-
2.	रतनलाल पिता कनीराम जाति कुलम्बी भूमि स्वामी.	779	0.180	0.098	-	0.098	-
योग . . .		2	0.930	0.388	-	0.388	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की:—माही परियोजना की माही शाखा नहर एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) नहर निर्माण कार्य पूर्ण से ही प्रचलित है, अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. केवल कुछ भाग का ही अर्जन किया जाना है. अतः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद एवं कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1138-भू-अर्जन-री-1-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ  
(ख) तहसील—पेटलावद  
(ग) ग्राम—सुअरपाड़ा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.49 हे.

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हे. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)		अर्जनीय भूमि का कुल रकबा (हे. में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	सिंचित	असिंचित	(7)	(8)
1.	रमेशचन्द्र पिता चम्पालाल जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.	552	1.490	0.960	-	0.960	-
2.	कामेरीबाई पति लुणा पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	547	0.850	0.530	-	0.530	-
योग . . .		2	2.340	1.490	-	1.490	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की:—माही परियोजना की माही शाखा नहर एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) नहर निर्माण कार्य पूर्ण से ही प्रचलित है, अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. केवल कुछ भाग का ही अर्जन किया जाना है. अतः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद एवं कार्यपालन यंत्र, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूणा गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

### सार्वजनिक सूचना

देवास, दिनांक 26 सितम्बर 2015

प्र. क्र. 1419-पार्ट-2015.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय निती के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) ग्राम का नाम—गादिया
- (2) तहसील—कन्नौद
- (3) जिला—देवास
- (4) कुल प्रस्ताव—3

क्र.	पुरा नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रियंका बाई पति विजय निवासी, गादिया	142	0.20 हेक्टर
2	प्रियंका बाई पति विजय निवासी, गादिया	143/1	0.08 हेक्टर
3	सावित्रीबाई पति रामदीन निवासी, गादिया	144	0.16 हेक्टर

कुल सर्वे नम्बर—3

कुल प्रस्ताव—3

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
- (3) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1420-पार्ट-2015.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय निती के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों

धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) ग्राम का नाम—डेहरिया
- (2) तहसील—कन्नौद
- (3) जिला—देवास
- (4) कुल प्रस्ताव—26

क्र.	पुरा नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बाबूखाँ पिता असरफ खाँ निवासी, डेहरिया	71	0.276 हेक्टर
2	खेरून बी पति शहीद खाँ निवासी, डेहरिया	72	0.268 हेक्टर
3	हब्बीब खाँ पिता यासीन खाँ निवासी, डेहरिया	39	0.20 हेक्टर
4	रासत खाँ पिता नसीब खाँ निवासी, डेहरिया	37	0.112 हेक्टर
5	रासत खाँ पिता नसीब खाँ निवासी, डेहरिया	36	0.108 हेक्टर
6	लक्ष्मण पिता सीताराम गुजर निवासी, डेहरिया	34	0.10 हेक्टर
7	श्यामलाल पिता गणपत गुजर निवासी, डेहरिया	30/2	0.04 हेक्टर
8	शिवनारायण पिता चम्पालाल गुजर निवासी, डेहरिया	114	0.21 हेक्टर
9	सुनिल पिता नानूराम गुजर निवासी, डेहरिया	120/1	0.14 हेक्टर
10	राजेश पिता काशीराम निवासी, डेहरिया	120/2	0.14 हेक्टर
11	राजेश पिता काशीराम गुजर निवासी, डेहरिया	125/1	0.105 हेक्टर
12	सुमनबाई पति काशीराम गुजर निवासी, डेहरिया	125/2	0.105 हेक्टर
13	जगदीश पिता भागचंद निवासी, डेहरिया	126	0.204 हेक्टर
14	ओमप्रकाश पिता विजयसिंह गुजर निवासी, डेहरिया	145/2	0.108 हेक्टर
15	रामकरण पिता हरलाल गुजर निवासी, डेहरिया	144	0.08 हेक्टर
16	रामकरण पिता हरलाल गुजर निवासी, डेहरिया	143	0.12 हेक्टर
17	रामकरण पिता हरलाल गुजर निवासी, डेहरिया	142	0.02 हेक्टर
18	बसुबाई पति तुलसीराम गुजर निवासी, डेहरिया	141/2	0.06 हेक्टर
19	मोहनलाल पिता तुलसीराम गुजर निवासी, डेहरिया	141/3	0.06 हेक्टर
20	कुसुम पति रामेश्वर गुजर निवासी, डेहरिया	148/1/2	0.084 हेक्टर
21	अमीरीबाई पति इब्राहिम निवासी, डेहरिया	161	0.028 हेक्टर
22	अनवर पिता लाल खाँ निवासी, डेहरिया	162	0.072 हेक्टर
23	काले खाँ पिता इब्राहिम खाँ निवासी, डेहरिया	163	0.042 हेक्टर
24	असगर पिता काले खाँ निवासी, डेहरिया	164	0.12 हेक्टर
25	काले खाँ पिता इब्राहिम निवासी, डेहरिया	165	0.12 हेक्टर
26	सुदामा पिता हरदेव गुजर निवासी, डेहरिया	149/1	0.01 हेक्टर

कुल सर्वे नम्बर—26

कुल प्रस्ताव—26

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
- (3) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 1421-पार्ट-2015.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीती के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

क्र.	पुरा नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	ग्राम का नाम—कोठड़ा		
(2)	तहसील—कन्नौद		
(3)	जिला—देवास		
(4)	कुल प्रस्ताव—26		
1	कन्हैया पिता हीरालाल निवासी, कोठड़ा	290/1	0.2 हेक्टर
2	राजेखां पिता इस्माईल खाँ निवासी, कोठड़ा	295	0.036 हेक्टर
3	राजाराम पिता हीरालाल निवासी, कोठड़ा	289	0.2 हेक्टर
4	केवलराम पिता हीरालाल निवासी, कोठड़ा	287	0.02 हेक्टर
5	आ. समद पिता एहमद खाँ निवासी, कोठड़ा	332	0.208 हेक्टर
6	एहमद खाँ पिता दिलदार निवासी, कोठड़ा	340/1	0.08 हेक्टर
7	बिलाल खाँ पिता अकबर निवासी कोठड़ा अ.पा.क. शन्नौबाई पति अकबर खाँ जाति पिंडारा.	340/2	0.12 हेक्टर
8	चुन्नीलाल दत्तक पुत्र गोविंद निवासी कोठड़ा पन्नु उर्फ	338	0.132 हेक्टर
9	मोहन, कैलाश संतोष जगदीश गोकुल रामविलास पिता बट्टी इन्दरबाई बेवा बट्टी नि. कोठड़ा.	337	0.18 हेक्टर
10	वहीद खाँ पिता गुलाब खाँ निवासी कोठड़ा	363/1	0.09 हेक्टर
11	पीर जी पिता सईद निवासी कोठड़ा	363/2/1	0.03 हेक्टर
12	सईद खाँ पिता गुलाब खाँ निवासी कोठड़ा	363/2/2	0.03 हेक्टर
13	अफजल खाँ पिता सईद खाँ निवासी कोठड़ा	363/2/3	0.03 हेक्टर
14	हबीब पिता मान खाँ निवासी कोठड़ा	363/3/2	0.09 हेक्टर
15	हनीफ खाँ छोटीबाई पिता लाड खाँ निवासी कोठड़ा	363/4/1	0.09 हेक्टर
16	राजाराम पिता हीरालाल निवासी कोठड़ा	289	0.02 हेक्टर
17	सफेद खाँ मुहीद खाँ पिता हसन खाँ, नगीना काली पि. हसन खाँ, मुन्नबाई वि. हसन खाँ जाति मेवाती निवासी कोठड़ा.	279	0.168 हेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)
18	कासम पिता मलखान खां निवासी कोठड़ा	266/2	0.104 हेक्टर
19	इब्रहीम खां पिता ईसब निवासी कोठड़ा	277/2	0.012 हेक्टर
20	सिद्दिक पिता मलखान खां निवासी कोठड़ा	265	0.112 हेक्टर
21	मलखानखां पिता आसीन खां निवासी कोठड़ा	258/2	0.160 हेक्टर
22	कासम पिता मलखानखां निवासी कोठड़ा	253	0.084 हेक्टर
23	कन्हैयालाल पिता हीरालाल निवासी कोठड़ा	254	0.07 हेक्टर
24	कन्हैयालाल पिता हीरालाल निवासी कोठड़ा	255	0.12 हेक्टर
25	कृपाबाई पति बबलू जाति तेली नि. कोठड़ा	193/2	0.01 हेक्टर
26	घुडू खाँ पिता रसूल खाँ नि. कोठड़ा	276	0.20 हेक्टर

कुल सर्वे नम्बर—26

कुल प्रस्ताव—26

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
- (3) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1422-पार्ट-2015.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय निती के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) ग्राम का नाम—बामनीखुर्द
- (2) तहसील—कन्नौद
- (3) जिला—देवास
- (4) कुल प्रस्ताव—29

क्र.	पुरा नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उमाशंकर पिता दुर्ग निवासी बामनीखुर्द	8	0.108 हेक्टर
2	रामलाल पिता दुर्गा निवासी बामनीखुर्द	9	0.08 हेक्टर
3	शफीउल्ला पिता मम्मू खां निवासी बामनीखुर्द	12	0.24 हेक्टर
4	रियासन पिता छीतु खां निवासी बामनीखुर्द	15	0.12 हेक्टर
5	भोलू, शहीद, समीद, बहीद, सफेद, हमीद पिता इब्राहिम खाँ निवासी बामनीखुर्द.	17	0.108 हेक्टर
6	हाजराबाई पिता छीतु खां निवासी बामनीखुर्द	14	0.012 हेक्टर



(1)	(2)	(3)	(4)
7	भोलू, शहीद, समीद, वहीद, सफेद, हमीद पिता इब्राहिम खाँ निवासी बामनीखुर्द.	18	0.06 हेक्टर
8	भारमल पिता प्रताप निवासी बामनीखुर्द	32	0.12 हेक्टर
9	रामरूप पिता परताप निवासी बामनीखुर्द	33	0.056 हेक्टर
10	अकबर खाँ पिता गब्बु खाँ निवासी बामनीखुर्द	37	0.10 हेक्टर
11	रसीद खाँ पिता गब्बु खाँ निवासी बामनीखुर्द	38	0.08 हेक्टर
12	रहीस खाँ पिता गब्बु खाँ निवासी बामनीखुर्द	39	0.044 हेक्टर
13	रहीस खाँ पिता गब्बु खाँ निवासी बामनीखुर्द	66	0.08 हेक्टर
14	अमीन खाँ पिता रहीस खाँ निवासी बामनीखुर्द	67/2	0.04 हेक्टर
15	विनोद पिता रामनिवास निवासी डेहरीया	74/1	0.18 हेक्टर
16	मोहनलाल कन्हैयालाल निवासी बामनीखुर्द	443	0.22 हेक्टर
17	बलराम पिता कन्हैया निवासी बामनीखुर्द	442/1	0.06 हेक्टर
18	नरेन्द्र, राजन्ती पिता लक्ष्मीनारायण, रामबाई बेवा लक्ष्मीनारायण निवासी बामनीखुर्द.	441	0.196 हेक्टर
19	भीकूबाई पिता रामरतन निवासी बामनीखुर्द	440	0.160 हेक्टर
20	रहीश पिता केशर खाँ निवासी बामनीखुर्द	437/1	0.080 हेक्टर
21	भीकूबाई पिता रामरतन गुर्जर निवासी बामनीखुर्द	437/2	0.028 हेक्टर
22	रमजान पिता अब्दुल खाँ निवासी बामनीखुर्द	612/436	0.020 हेक्टर
23	अकबर खाँ पिता अब्दुल खाँ निवासी बामनीखुर्द	611/436	0.020 हेक्टर
24	मोहन पिता गंगाधर निवासी बामनीखुर्द	435/2	0.068 हेक्टर
25	मेहबूब खाँ पिता केशर खाँ निवासी बामनीखुर्द	434	0.048 हेक्टर
26	हमीद खाँ पिता बाजत खाँ निवासी बामनीखुर्द	486	0.16 हेक्टर
27	रामसिंह पिता कल्याण नि. डेहरीया	26/3	0.22 हेक्टर
28	सूरजसिंह पिता परताप नि. बामनीखुर्द	445	0.04 हेक्टर
29	अब्दुल खाँ पिता केसर खाँ नि. बामनीखुर्द	436	0.03 हेक्टर

कुल सर्वे नम्बर—29

कुल प्रस्ताव—29

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
- (3) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश

मन्दासौर, दिनांक 11 सितम्बर 2015

(1)	(2)	(3)	(4)
11	सुवासरा	ढाबलादेवल	नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, (थाना सुवासरा)
12	सुवासरा	गैलाना	नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, (थाना सुवासरा)
13	सुवासरा	धान्याखेड़ी	नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, (थाना सुवासरा)
14	सुवासरा	देवपुरानगर	नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, (थाना सुवासरा)
15	सुवासरा	बदनजीखेड़ा	नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, (थाना सुवासरा)
16	सुवासरा	गुर्जरखेड़ी	नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, (थाना सुवासरा)
17	सुवासरा	डोकरखेड़ी	नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, (थाना सुवासरा)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 की धारा 2 के खण्ड-एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियाँ मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2 (4) 15-99-बी-3-दो, दिनांक 11-10-2004 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ-2 (क)-09-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति में निहित की गई है। उपरोक्तानुसार प्राधिकृत समिति के निर्णय दिनांक 3-9-2015 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खण्ड एस के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्तंभ क्रमांक 1 में वर्णित राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक 2 में वर्णित पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित पुलिस थानों के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है :-

स्वतंत्र कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट एवं  
पदेन उपसचिव (गृह).

क्र. राजस्व ग्राम का नाम स्तंभ क्र. 1	वर्तमान थाना क्षेत्राधिकार स्तंभ क्र. 2	जिस थाने/चौकी में ग्राम/क्षेत्र को सम्मिलित किया गया, स्तंभ क्र. 3
---------------------------------------	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुवासरा	रूनीजा	नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, (थाना सुवासरा)
2	सुवासरा	भरपुर	नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, (थाना सुवासरा)
3	सुवासरा	अम्बा	नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, (थाना सुवासरा)
4	सुवासरा	घसोई	नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, (थाना सुवासरा)
5	सुवासरा	रामनगर	नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, (थाना सुवासरा)
6	सुवासरा	धाकड़खेड़ी	नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, (थाना सुवासरा)
7	सुवासरा	लोड़ाखेड़ी	नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, (थाना सुवासरा)
8	सुवासरा	अंगारी	नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, (थाना सुवासरा)
9	सुवासरा	धनवाड़ा	नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, (थाना सुवासरा)
10	सुवासरा	हडमत्या	नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, (थाना सुवासरा)

## कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्र. 1637-11-भू-प्रबन्धन-नक्शा विहीन-2015.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) (संशोधन) अधिनियम 2011 की धारा 108(2) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित नगरेत्तर ग्रामों की भूमि के लिये उनके कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

### अनुसूची

क्रमांक	पटवारी हल्का नं. सहित ग्रामों का नाम	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
<b>तहसील-सेमरिया, जिला-रीवा</b>		
1	1. हिनौता प.ह.नं. 24	अधीक्षक भू-अभिलेख भू-प्रबंधन
	2. गौरा प.ह.नं. 27	-''-
	3. कपसा प.ह.नं. 27	-''-

(1)	(2)	(3)	mentioned in column (3) thereof :—		
<b>तहसील-मनगावां, जिला-रीवा</b>			<b>SCHEDULE</b>		
2	1. बुढवा प.ह.नं.-33	अधीक्षक भू-अभिलेख भू-प्रबंधन	S. No.	Name of Village with P. C. No.	Designation of officer authorized to prepare records of right of rural villages
	2. गंगेव नं. 2 प.ह.नं.-34	—''—	(1)	(2)	(3)
	3. गंगेव नं. 3 प.ह.नं.-34	—''—			
	4. मढी खुर्द प.ह.नं.-34	—''—			
	5. खरहना प.ह.नं.-38	—''—			
<b>तहसील-मऊगंज जिला-रीवा</b>			<b>Tehsil-Semariya, District-Rewa</b>		
3	1. डिहार काटन प.ह.नं. 16	अधीक्षक भू-अभिलेख भू-प्रबंधन	1	1. Hinota P. C. No.-24	Superintendent Land Record Land Management
				2. Gaura P.C.No.-27	—''—
				3. Kapsa P.C.No.-27	—''—
<b>तहसील-हनुमना, जिला-रीवा</b>			<b>Tehsil-Mangawan, District-Rewa</b>		
4	1. आरा तेंदुआ (तेंदुआ मु. पोखडौर) प.ह.नं.-18	अधीक्षक भू-अभिलेख भू-प्रबंधन	2	1. Budhaba P. C. No.-33	Superintendent Land Record Land Management
				2. Gangev No. 2 P.C.No.-34	—''—
				3. Gangev No. 3 P.C.No.-34	—''—
				4. Madhi Khurd P.C.No.-34	—''—
				5. Kharhana P.C.No.-38	—''—
<b>तहसील-हुजूर, जिला-रीवा</b>			<b>Tehsil-Mauganj, District-Rewa</b>		
5	1. गढ़वा प.ह.नं. 52	अधीक्षक भू-अभिलेख भू-प्रबंधन	3	1. Dihar katan P. C. No.-16	Superintendent Land Record Land Management
<b>तहसील-त्यौंथर, जिला-रीवा</b>			<b>Tehsil-Hanumana, District-Rewa</b>		
6	1. बुदामा प.ह.नं. 43	अधीक्षक भू-अभिलेख भू-प्रबंधन	4	1. Ara Tendua (Tendua mu Pokhador) P.C. No.-18	Superintendent Land Record Land Management
<b>तहसील-हुजूर, जिला-रीवा</b>			<b>Tehsil-Hujur, District-Rewa</b>		
			5	1. Gadhawa P. C. No.-52	Superintendent Land Record Land Management
<b>तहसील-त्यौंथर, जिला-रीवा</b>			<b>Tehsil-Tyonthar, District-Rewa</b>		
			6	1. Budama P. C. No.-43	Superintendent Land Record Land Management
<b>मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव रंजन, आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव.</b>			<b>By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAJIV RANJAN, Commissioner and Ex-officio Principal Secy.</b>		
<b>ग्वालियर, दिनांक 16 सितम्बर 2015</b>			<b>Gwalior the 16<sup>th</sup> September 2015</b>		
<b>क्र. 1637-11-भू-प्रबन्धन-नक्शा विहीन-2015.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1637-11-भू-प्रबन्धन-नक्शा विहीन-2015 दिनांक 16 सितम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.</b>			<b>S. No. 1637-11-Land Management-Naksha Vihin-2015.—In exercise of power vested under section 108(2) of the Madhya Pradesh land revenue code 1959 (No. 20 of 1959) the state government directs that a records of right of rural villages shall be prepared for the village mentioned in column (2) of the schedule below by the officer</b>		

कार्यालय, कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी,  
जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 18 सितम्बर 2015

क्र. क्यू-एपीडी-2015-10472.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक एपीडी-2104-7105-06 दिनांक 2 जुलाई 2014 द्वारा श्री शिवराज सिंह यादव पुत्र श्री जीवन सिंह यादव, नि. ग्राम उनारसीकला, तह. लटेरी को कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी हेतु मा. श्री गोवरधन उपाध्याय, विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 147 सिरोंज का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था. किन्तु स्वयं श्री गोवरधन उपाध्याय विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 147 सिरोंज द्वारा पत्र दिनांक 8 सितम्बर 2015 को अवगत कराया गया है कि मेरे द्वारा नियुक्त सभी विधायक प्रतिनिधियों को कार्यमुक्त किया जा चुका है.

तदानुसार सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है.

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
(मण्डी).

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2015

क्र. रास-यूए-5-2015.—इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 499-रास-यूए-5-2015, दिनांक 12 मई, 2015 के अनुक्रम में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट डॉ. उमेश चन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, वेटनरी कॉउंसिल ऑफ इंडिया ई-1 डेयरी कॉलोनी, जेल रोड, जहागीराबाद, हुजूर, भोपाल मध्यप्रदेश को माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा अधिनियम की धारा 22(2) (च) के तहत विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में सदस्य मनोनीत किया जाता है.

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान  
विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,  
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 9 सितम्बर 2015

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का स. 2 की धारा 2 के खण्ड एस अंतर्गत)

क्र. 6342-एस-डब्ल्यू-2015.—एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)-9-08-बी-3-दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के परिपालन में जिले के भीतर थानों की सीमाओं के निर्धारण करने बाबत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिला राजगढ़ अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में आने वाले कुछ ग्रामों का जन सुविधा की दृष्टि से क्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में सम्बंधित ग्रामों के विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायकगणों से अभिमत लिया गया है. अतएव प्रस्तावित थाना क्षेत्रों में संशोधन हेतु संलग्न सूची अनुसार अंकित ग्रामों को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस द्वारा प्रस्तावित थानों में जोड़ा जाना उचित है.

अतः, मैं, बी. एस. कुलेश, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला राजगढ़ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 खण्ड-एस के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रस्तावित थाना क्षेत्र में परिवर्तन की संलग्न सूची अनुसार थाना/चौकियों के नवीन सीमा निर्धारण की अधिसूचना जारी करता हूँ.

संलग्नः—प्रस्तावित परिवर्तित थाना क्षेत्रों की सूची.

बी. एस. कुलेश, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

नोटशीट

थाना क्षेत्रों के अधीनस्थ गाँव का क्षेत्र परिवर्तित करने विषयक

राजगढ़ (ब्यावरा), दिनांक 1 अक्टूबर 2015

जिला राजगढ़, अनुविभागीय अधिकारीगण पुलिस की ओर से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके अन्तर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में आने वाले कुछ ग्राम ऐसे हैं जो, जन सुविधा की दृष्टि से अन्य थाना क्षेत्र में होना चाहिये थे, ग्रामों के क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में संबंधित विधान सभा

क्षेत्र के माननीय विधायकगण से भी अभिमत प्राप्त किया गया है। माननीय विधायकगण द्वारा प्रस्तावित ग्रामों के क्षेत्र को जन सुविधा की दृष्टि से परिवर्तित किये जाने का अनुमोदन किया गया है जो निम्नानुसार है:—

प्रस्तावित थाना क्षेत्र में संशोधन बाबत

थाना का नाम	ग्रामों की सूची वर्तमान थाना	प्रस्तावित थाना द्वारा एसडीओपी	अनुमोदन द्वारा माननीय विधायकगण	वि. सभा क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
थाना करनवास	बाँसखेडी, डूगरपुरा	थाना राजगढ़ द्वारा एसडीओपी, ब्यावरा.	माननीय, विधायक श्री अमर सिंह यादव का अनुमोदन प्राप्त.	विधान सभा क्षेत्र राजगढ़.
थाना करनवास	बाईहेडा एवं उदपुरिया	थाना क्षेत्र खुजनेर द्वारा एसडीओपी, ब्यावरा.	माननीय, विधायक श्री अमर सिंह यादव का अनुमोदन प्राप्त.	विधान सभा क्षेत्र राजगढ़.
थाना जीरापुर	पंवारखेडी, रनारा, बाजरोन, पिपाखेडी, कन्डेली, नांदनी, पथरिया, कालाखेडा, हरिपुरा.	थाना क्षेत्र छापीहिडा द्वारा एसडीओपी, खिलचीपुर.	माननीय, विधायक कुँवर हजारीलाल दांगीजी का अनुमोदन प्राप्त.	विधान सभा क्षेत्र जीरापुर.
कालीपीठ	ग्राम काधरी, बापची कालखेडा, एवं कस्तुरीपुरा.	थाना ब्यावरा द्वारा एसडीओपी, ब्यावरा.	माननीय, विधायक श्री नारायण सिंह पंवार का अनुमोदन प्राप्त.	विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा.
थाना माचलपुर	ग्राम मुकेन्दपुरा, ग्राम भडका, ग्राम-भडकी.	थाना भोजपुर द्वारा एसडीओपी, खिलचीपुर.	माननीय विधायक कुँवर हजारीलाल दांगीजी का अनुमोदन प्राप्त.	विधान सभा क्षेत्र जीरापुर.

अतः उपरोक्तानुसार नोटिफिकेशन किया जाना प्रस्तावित है.

### पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 10-10-2010-तेतीस.—मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 (संशोधित 2012) के संदर्भ में राज्य पर्यटन परिषद् की द्वितीय बैठक दिनांक 14 मई 2013 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन, एतद्द्वारा, पर्यटन स्थल गोविन्दगढ़ को विशेष पर्यटन क्षेत्र बाणसागर के साथ संलग्न कर पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भावना वालिम्बे, उपसचिव.

### कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 3 अक्टूबर 2015

क्र. सिंहस्थ-2016-2015-1350.—मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम 1955 (अधिनियम क्रं. 27 सन् 1955) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, (म. प्र.) उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2016 के लिये पर्यटन ग्राम, होल्ड अप पर्यटन ग्राम एवं पार्किंग हेतु जून 2016 तक के लिये निम्नानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूँ:—

क्षेत्र	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1. गऊघाट से लालपुल—कस्बा उज्जैन	71.682 हे.
2. पर्यटन ग्राम—सावराखेडी	11.849 हे.
3. पार्किंग इंदौर रोड—ग्राम निनोरा तहसील उज्जैन	95.580 हे.

टीपः—उक्त सर्वे नम्बर की जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय उज्जैन में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे.

कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी.

## राजस्व विभागे

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 1 अक्टूबर 2015

क्र. 13441-भू-अर्जन-अ-82-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि के कॉलम (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.

राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची

भूमि का विवरण						धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)		
हरदा	खिरकिया	खिरकिया	246/4	0.749	0.024	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.	खिरकिया नहर की 1 आर माइनर हेतु.
			246/5	1.456	0.162		
			247/1	8.696	0.323		
			अशासकीय	योग . .	0.509		

## नोट.—

- (2) भूमि का नक्शा, प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भूमि अर्जन) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट [www.harda.nic.in](http://www.harda.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 13447-भू-अर्जन-अ-82-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि के कॉलम (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.

राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची

भूमि का विवरण						धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)		
हरदा	खिरकिया	चौकडी	160/3	1.416	0.226	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.	खिरकिया नहर की 2 आर माइनर हेतु.
			160/4	1.627			

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			159/1	2.833	0.068	
			159/2	5.306	0.153	
			159/3	1.671	0.389	
			150	1.129	0.194	
			149/3	1.047	0.218	
		अशासकीय	योग . .		1.248	

## नोट.—

- (2) भूमि का नक्शा, प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भूमि अर्जन) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट [www.harda.nic.in](http://www.harda.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 13443-भू-अर्जन-अ-82-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि के कॉलम (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है।

राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण			कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		ग्राम	खसरा नंबर					
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	
हरदा	खिरकिया	मुहाल खुर्द	68/1	1.012	0.210	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.	खिरकिया नहर की 1 आर माइनर हेतु.	
			68/3	3.035	0.242			
		77/1	0.481	0.218				
		77/2	1.490					
		78	4.030	0.153				
		80/1	2.173	0.295				
		80/2	2.174	0.194				
		81	0.789	0.250				
		86/2	0.923	0.182				
		85/5	2.023	0.061				
		86/1	0.093	0.275				
		86/3	1.619					
		87	0.264	0.202				
		88	6.909	0.405				
94	6.289	0.397						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			99	2.549	0.194
			100/2	1.214	0.057
			100/3	1.789	0.065
			100/4	2.023	0.073
			103/1	3.654	0.121
			103/2	1.214	0.182
			107	1.797	0.145
			110	4.120	0.121
			112/1	2.023	0.263
			112/2	1.438	0.117
		अशासकीय	योग . .		4.422

## नोट.—

- (2) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भूमि अर्जन) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट [www.harda.nic.in](http://www.harda.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 13445-भू-अर्जन-अ-82-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि के कॉलम (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है।

राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची						धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का विवरण			कुल	अर्जित			
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)	रकबा (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)		(4)			
हरदा	खिरकिया	धनवाड़ा	128/2	1.635	0.040	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.	खिरकिया नहर की 1 आर माइनर हेतु.
			126	2.011	0.323		
			125/3	1.012	0.194		
			123	4.719	0.405		
			122/3	1.012	0.274		
			120/1	5.965	0.405		
			120/5	3.642	0.133		
			120/4	8.402	0.303		
			113	3.035	0.016		
			111	3.486	0.364		
			99/1	1.416	0.101		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			99/2	1.396	0.004
			98/1	1.550	0.202
			98/2	1.555	0.214
			97/1	1.417	0.230
			97/2	1.416	
			9	2.590	0.032
		अशासकीय	योग . .		3.240

## नोट.—

- (2) भूमि का नक्शा, प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भूमि अर्जन) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट [www.harda.nic.in](http://www.harda.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 13449-भू-अर्जन-अ-82-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि के कॉलम (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.

राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
हरदा	खिरकिया	सारंगपुर	298/1	3.030	0.303	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा. खिरकिया नहर की 1 आर एवं 2 आर माइनर हेतु .
			298/2	3.237	0.085	
			292	1.586	0.065	
			291/1	0.226	0.089	
			291/2	1.360		
			290/1	0.563		
			290/2	0.562		
			290/3	0.357	0.101	
			290/4	0.559		
			290/5	0.202		
			287/1	2.865	0.234	
			287/3	0.437	0.169	
			287/2	1.433	0.137	
			287/4	0.996		
			271/2	1.822	0.028	
			133/2	0.809	0.081	
134/1	2.630	0.234				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			132	4.456	0.012
			131/1	1.226	0.169
			133/1	3.085	0.380
			135/1	0.914	0.137
			135/2	2.833	0.012
			129/2	1.206	0.210
			128	3.234	0.198
			127/3	1.416	0.165
			125	5.747	0.016
			126/1	3.136	0.586
			126/2	3.136	
			120/1	2.525	0.189
			120/2	2.529	
			121	3.986	0.016
			122/1	0.999	0.263
			122/2	2.832	0.210
			122/3	1.214	0.117
			118/1	2.582	0.181
			117	1.773	0.194
			116/2	0.886	0.016
			89	7.216	0.413
			74/2	0.809	0.024
		अशासकीय	योग . .		5.034

## नोट.—

- (2) भूमि का नक्शा, प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भूमि अर्जन) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट [www.harda.nic.in](http://www.harda.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

\* क्र. 13451-भू-अर्जन-अ-82-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि के कॉलम (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है।

राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 2 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का विवरण			अनुसूची		धारा 11 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	कुडावा	103/1	2.825	0.283	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.	खिरकिया नहर की 1 आर एवं 2 आर माइनर हेतु.
			104/1	1.619	0.008		
			105/1	0.567	0.230		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			106/2	1.959	0.210
			105/2	0.809	0.255
			106/1	2.023	
			110	2.578	0.174
			111/3	2.779	
			111/4	1.214	0.222
			111/5	0.385	
			112/2	2.356	0.267
			114/1	3.051	0.174
			115/2	1.012	0.182
			116/1	0.924	
			116/4	1.449	
			116/2	1.444	
			116/7	0.165	0.174
			116/3	1.449	
			116/5	1.449	
			116/6	0.360	
			96/1	1.874	
			96/2	1.821	0.331
			96/3	1.821	
			96/4	1.821	
			98	0.647	0.081
			99	3.763	0.113
			100	3.157	0.085
			92/2	4.452	0.093
			90	1.011	0.061
			91/1	0.627	0.049
			91/2	1.619	0.291
			85/4	0.485	0.271
			85/8	1.619	
			87/2	1.630	0.194
			87/3	3.250	0.323
			46/1	13.067	0.364
			48/2	2.250	0.246
			47/2	3.237	0.331
			48/1	2.084	0.178
			47/1	1.510	0.263
			44	3.573	0.153

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3/1	0.922	0.170
			3/4	0.920	0.263
			2/4	1.214	0.113
			2/1	1.438	0.081
			2/2	0.202	0.129
			1	0.202	0.041
			103/2	2.428	0.202
			104/2	1.452	0.234
			107/1	1.295	0.190
			108/2	1.283	0.117
			108/1	1.283	0.153
			334/1	0.317	0.065
			334/2	0.060	
			330	0.405	0.109
			331	0.454	0.053
			327/2	1.011	0.279
			327/3	1.540	0.222
			326/1	2.023	0.234
			326/3		
			325	1.457	0.251
			307	2.594	0.105
			302	4.047	0.020
			300	2.124	0.053
			301	0.328	0.020
			299/1	5.285	0.153
			298/1	4.961	0.194
			308/1	1.821	
			308/2	2.388	
			308/3	3.642	
			308/6	0.567	0.405
			308/4	1.696	
			308/5	1.821	
			308/8	0.160	
			308/7	0.527	
			297	0.737	0.105
			295	4.047	0.206
			292/1	0.810	0.085

292/3	0.809	0.109
292/2	1.720	0.255
अशासकीय	योग . .	10.230

**नोट.—**

- (2) भूमि का नक्शा, प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भूमि अर्जन) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट [www.harda.nic.in](http://www.harda.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 13453-भू-अर्जन-अ-82-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि के कॉलम (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है।

राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 2 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का विवरण						धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)		
हरदा	सिराली	चौकड़ी	77/2	2.428	0.045	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.	आमाखाल तालाब की 1 आर माईनर के स्केप चैनल हेतु.
			77/5	0.405	0.020		
			77/6	1.619			
			अशासकीय	योग . .	0.065		

**नोट.—**

- (2) भूमि का नक्शा, प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भूमि अर्जन) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट [www.harda.nic.in](http://www.harda.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
नरसिंहपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2015

पत्र क्र. 2177-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की

संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि लिंगा-कठौतियां मार्ग के कि.मी. 9/4 में धमनी नदी पर पुल का निर्माण किया जाना है. उक्त पुल को पूर्व में निर्मित मार्ग से जोड़ने हेतु आंशिक भू-अर्जन किया जाना आवश्यक है और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	करेली	महलपुरा	0.140	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर.	लिंगा-कठौतियां मार्ग के कि.मी. 9/4 में धमनी नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2175-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि लिंगा-कठौतियां मार्ग के कि.मी. 9/4 में धमनी नदी पर पुल का निर्माण किया जाना है. उक्त पुल को पूर्व में निर्मित मार्ग से जोड़ने हेतु आंशिक भू-अर्जन किया जाना आवश्यक है और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	करेली	खैरी	0.172	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर.	लिंगा-कठौतियां मार्ग के कि.मी. 9/4 में धमनी नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेश पॉल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2015

(1)	(2)
91/1	0.240
91/5	
90/2	0.030
कुल . . .	1.590

प्र. क्र. 06-अ-82-वर्ष 2013-14-पत्र क्र. 547-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—नरसिंहपुर  
(ग) ग्राम—नयाखेड़ा नं. ब. 275, प.ह.नं. 21  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.590 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा (हे. में)
(1)	(2)
105/3	0.180
83/3	0.240
83/4	0.120
104/1	0.090
104/2	0.060
102	0.135
91/14	0.030
91/15	
85/1	0.075
85/2	0.075
85/4	
84/12	
84/2	0.060
85/5	
91/2	0.150
91/3	
91/4	0.045
91/6	
91/7	0.060
91/8	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके आवश्यकता है—गरगटा नयाखेड़ा इमलिया गरारू मार्ग निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-वर्ष 2013-14-पत्र क्र. 549-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—नरसिंहपुर  
(ग) ग्राम—नयाखेड़ा नं. ब. 275, प.ह.नं. 21  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.677 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा (हे. में)
(1)	(2)
105/3	0.048
105/1	0.064
152/1, 2	0.048
153/2, 3	
104/2	0.020
104/1	0.036
101/2	0.032
101/3	0.016
98	0.080
99/2	0.040
226/1, 227/1, 228/1	0.075
225/1	0.026

(1)	(2)
225/2	0.048
222, 223, 224	0.036
220	0.032
217/1, 218/1	0.008
232/ज, 210/2, 211/2	0.044
217/2	0.105
218/2	0.028
214, 215, 216	0.044
213/3	0.008
213/4	0.008
213/1	0.008
213/1	0.016
153/1, 154/1, 153/4, 154/3	0.036
154/2, 155	0.085
156/1	0.055
171	0.048
172	0.068
175/2	0.100
176/1	0.072
176/2	0.065
196/12, 196/13, 209/6	0.042
196/1, 2, 209/1	0.024
196/10, 11, 209/5	0.035
208	0.020
210/1, 211/1	0.040
210/3, 211/3	0.012
212/3	0.060
कुल . . .	<u>1.677</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गरगटा नयाखेड़ा इमलिया गरारू मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8 अ-82-वर्ष 2013-14-पत्र क्र. 551-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित

किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—नरसिंहपुर  
(ग) ग्राम—गरगटा नं. ब. 122, प.ह.नं. 24  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.698 हेक्टेयर

खसरा नं. अर्जन हेतु प्रस्ता.  
रकबा (हे. में)

(1) (2)

27 0.024

34 0.100

29 0.032

26/2 0.024

26/8 0.024

26/4 0.064

35/1, 36/1,2 /37/1, 38/1 0.184

23/6, 24/1 0.096

24/5, 7 0.040

42/1 0.040

42/3 0.024

18 0.040

8/2, 19/2 22/2, 23/2 0.006

योग . . . 0.698

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके आवश्यकता है—गरगटा नयाखेड़ा इमलिया गरारू मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09 अ-82-वर्ष 2013-14-पत्र क्र. 553-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—नरसिंहपुर



(ग) ग्राम—गरारू नं. ब. 123, प.ह.नं. 9	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.001 हेक्टेयर	14	0.020
खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा (हे. में)	
(1)	(2)	
105	0.080	
230/2, 254/2, 255/2,		
257/3, 259/3, 260/3,	0.440	
261/3, 262/3, 263/2,		
264/7		
70, 71	0.012	
70, 71	0.160	
188/1, 189/1	0.032	
197/1 क	0.048	
197/1 ख	0.056	
197/2	0.040	
202/	0.040	
225/1, 226/1	0.029	
225/2, 226/2	0.032	
229	0.032	
योग . . .	1.001	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गरगटा नयाखेड़ा इमलिया गरारू मार्ग निर्माण हेतु.	15/2, 15/3, 16	0.012
	12	0.030
	17/6	0.050
	24/2	0.030
	17/1	0.030
	17/4, 18/1	0.070
	19	0.070
	22/2	0.080
	101/3	0.020
	20	0.080
	101/1	0.030
	101/2	0.030
	102/3	0.050
	104	0.025
	15/5	0.020
	17/2, 17/8	0.030
	17/4	0.020
	17/5	0.040
	25/1	0.040
	102/4	0.070
	27/6	0.160
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.	15/4	0.020
	योग . . .	1.092

प्र. क्र. 10 अ-82-वर्ष 2013-14-पत्र क्र. 555-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—नरसिंहपुर  
(ग) ग्राम—सिमरिया नं. ब. 556, प.ह.नं. 39  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.092 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा (हे. में)
(1)	(2)
22/1	0.025
15/1	0.040

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गरगटा तिंदनी गरगटा मार्ग निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11 अ-82-वर्ष 2013-14-पत्र क्र. 557-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—नरसिंहपुर

(ग) ग्राम—जरजोला नं. ब. 189, प.ह.नं. 39	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.250 हेक्टेयर	77/2, 75/2	0.060
खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा (हे. में)	
(1)	(2)	
199	0.030	76/2, 77/3
201, 203/3	0.030	77/2
16/1	0.040	79
5/6	0.030	80/1
4	0.025	80/2
2/1 क	0.040	80/4
2/2	0.030	93
5/5	0.025	94/2, 95/2
योग . . .	0.250	95/4
		140
		158/3
		158/1
		136/3, 137/3
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गरगटा तिंदनी गरगटा मार्ग निर्माण हेतु.		28/3
		136/1, 2
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.		28/2
		28/4
		28/1
		29/1
		29/2, 30/2
प्र. क्र. 12 अ-82-वर्ष 2013-14-पत्र क्र. 559-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		30/1
		42/2
		43
		47/2
		47/1, 48/1
		56/1
		56/4
		56/3, 57/3, 4
		56/2, 57/2
		योग . . .
		1.655

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर	
(ख) तहसील—नरसिंहपुर	
(ग) ग्राम—तिंदनी, नं. ब. 239, प.ह.नं. 23	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.655 हेक्टेयर	
खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा (हे. में)
(1)	(2)
70/1	0.135
73/2	0.150
59, 73/1	0.060
74/1	0.137
74/4, 74/5	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नरसिंहपुर तिंदनी गरगटा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13 अ-82-वर्ष 2013-14-पत्र क्र. 559-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये

आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—नरसिंहपुर  
(ग) ग्राम—गरगटा नं. ब. 122, प.ह.नं. 24  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.896 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा (हे. में)
(1)	(2)
155/1, 156/1,	0.068
157/1, 158/1	
155/2, 156/2,	0.072
157/2, 158/2	
155/3, 156/3,	0.034
157/3, 158/3	
155/4, 156/4,	0.032
157/4, 158/4	
155/5, 156/5,	0.034
157/5, 158/5	
147/5, 150/2, 151/2	0.020
138/2	0.032
147/4, 150/1, 151/2	0.020
138	0.056
138/3	0.032
137/3, 138/8	0.048
104/1	0.016
104/2	0.016
103/2	0.024
103/4	0.016
154	0.040
153	0.040
101/1, 101/3	0.040
101/2	0.040
168/1	0.048
168/17	0.024
16/10	0.016
100/4	0.008
100/3	0.008
99/2	0.024
50/4	0.032
50/6	0.024
50/11	0.032
योग . . .	0.896

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नरसिंहपुर तिंदनी गरगटा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 सितम्बर 2015.

क्र. 7814-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—चांद  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—खैरघाट, ब.नं. 52, प.ह.नं. 40 रा.नि.मंडल—चांद.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.839 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
31/2	0.039
30/4	0.120
30/2	0.269
29/6, 30/1	0.144
35/1	0.129
35/5	0.108
29/9, 35/2	0.030

योग . . . 0.839 हेक्टेयर  
एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उपवितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	(1) 5/2 4/10, 10/1 8/6, 7 10/2 8/4, 9/4	(2) 0.036 0.240 0.025 0.020 0.800
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <a href="http://www.chhindwara.nic.in">www.chhindwara.nic.in</a> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <a href="http://www.mprevenue.nic.in/">http://www.mprevenue.nic.in/</a> पर भी देखा जा सकता है.	236/1, 237/1 236/2, 237/2 239/1 236/3, 237/3 238/1	0.096 0.080 0.022 0.005 0.394
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	243/1-2 244/3 244/1 244/5	0.192 0.201 0.096 0.192
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	254/2, 255/2, 256/2 254/1, 255/1, 256/1 253/1 253/2 251/1, 252/1	0.140 0.134 0.197 0.182 0.249
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	259, 260	0.144

योग . . . 03.495 हेक्टर  
एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

क्र. 7815-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—चांद  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-आमगांव, ब.नं. 04, प.ह.नं. 40, रा.नि.मंडल-चांद.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—03.495 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित	प्रस्तावित रकबा
खसरा नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
5/1	0.050

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक की खैरघाट उपवितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7816-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—चांद  
(ग) \* नगर/ग्राम—ग्राम-लोनीकला, ब.नं. 261, प.ह.नं. 28, रा.नि.मंडल-चांद.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.042 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
433/3, 433/10	0.036
436/15	0.096
436/4	0.060
436/8, 436/16	0.314
436/11	0.280
436/1	0.256
<b>योग . .</b>	<b>01.042</b>

हेक्टेयर  
एवं प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांधी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उपवितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांधी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7817-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—चांद  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पौनिया, ब.नं. 181, प.ह.नं. 40, रा.नि.मंडल-चांद.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—03.097 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
8/2, 83/1	0.192
83/2, 88/2	0.092
83/3, 88/3	0.020
8/3	0.130
83/4, 88/5	0.022
81	0.004
82	0.022
72/1, 78/1, 79, 84/1	0.320
72/2, 84/2, 85, 86	0.096
67/1	0.258
300/3, 362/3	0.108
361/9	0.018
361/8	0.100
361/6	0.064
361/7	0.158
358/4	0.108
359/5, 359/6, 360/3	0.257

(1)	(2)
358/3	0.202
358/5	0.165
355/7, 355/8	0.029
355/2, 355/3	0.291
355/4, 355/5	0.168
354/2	0.090
353/1	0.096
352/3	0.087
<b>योग . . .</b>	<b>03.097</b>
	हेक्टर
	एवं प्रस्तावित
	क्षेत्रफल पर
	आने वाली
	संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली चांदना वितरक नहर की खैरघाट उपवितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7818-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-लोनीखुर्द, ब.नं. 262, प.ह.नं. 28, रा.नि.मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—02.451 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
315/14	0.280
315/12	0.076
318/3	0.260
318/2	0.056
319/1	0.058
319/2	0.168
319/3	0.216
315/5, 8, 345/1, 346/1	0.272
315/17, 315/18, 343/8, 346/7	0.128
315/19, 315/20, 343/9, 346/8	0.056
343/5	0.160
315/6-7, 343/2, 346/2	0.002
343/6	0.124
315/9, 343/1, 346/3	0.120
315/22, 343/11, 346/10	0.050
315/15, 343/4, 346/5	0.050
315/21, 343/10, 346/9	0.050
315/16, 346/6	0.275
350/1, 350/2	0.050

**योग . . .** **02.451** हेक्टर  
एवं प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उपवितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7819-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-नांदना, ब.नं. 148, प.ह.नं. 55, रा.नि.मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—02.467 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित  
खसरा नम्बर

(1)

344

345/5

345/1

345/6

345/3

336/1

336/3, 347/1

प्रस्तावित रकबा  
(हे. में)

(2)

0.228

0.177

0.250

0.276

0.370

0.398

0.768

योग . . 02.467 हेक्टेयर

एवं प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियाँ.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उपवितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**राजस्व विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

**सूचना**

क्र. एफ 6-2-2013-सात-3.—राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (3) में दर्शाई तहसीलों को सूखा प्रभावित मानती है और वृहद प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है :—

**अनुसूची**

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	तहसील का नाम (3)
1	रीवा	हुजूर, रायपुरकर्चुलियान, गुढ़, सिरमौर, सेमरिया, मनगवां, त्योंथर, जवा, मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमना
2	जबलपुर	जबलपुर, पनागर, कुंडम, पाटन, शहपुरा, सिहोरा, मझोली
3	सीधी	रामपुरनैकिन, चुरहट, गोपदबनास, सिहावल, मझोली, कुसमी
4	सागर	सागर, राहतगढ़, बीना, खुरई, मालथौन, बंडा, शाहगढ़, गढ़ाकोटा, रेहली, देवरी, केसली
5	दमोह	दमोह, हटा, जबेरा, पथरिया, तेंदूखेड़ा, पटेरा, बटियागढ़
6	सिवनी	सिवनी, कुरई, केवलारी, छपारा, लखनादौन, धनौरा, घनसौर
7	सिंगरौली	सिंगरौली, देवसर, चितरंगी, माड़ा, सरई
8	श्योपुर	श्योपुर, बडौदा, विजयपुर, वीरपुर
9	छतरपुर	छतरपुर, नौगांव, महाराजपुर, राजनगर, लवकुशनगर, चंदला, गौरीहार, बड़ामलहरा, धुवारा, बिजावर
10	भिण्ड	भिण्ड, लहार, अटेर, रौन, मिहौना
11	पन्ना	पन्ना देवेन्द्रनगर, गुन्नौर, अमानगंज, पवई, सिमरिया, शाहनगर, रैपुरा, अजयगढ़

**योग : 11**

**82**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.



भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 6-2-2013-सात-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-2-2013-सात-3, दिनांक 9 अक्टूबर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 9<sup>th</sup> October 2015

NOTICE

No. F 6-2-2013-VII-3.—On the basis of standard fixed by the State Government, the State Government hereby, recognize the drought affected Tahsils shown in column in (3) of Schedule given below and this notice is published for *vide* publicity and information to general public :—

SCHEDULE

No. (1)	District (2)	Affected Tahsils (3)
1	Rewa	Huzur, Raipurkarchulian, Gurh, Sirmour, Semariya, Mangawan, Teother, Jawa, Mauganj, Naigarhi, Hanumana.
2	Jabalpur	Jabalpur, Panagar, Kundam, Patan, Shahpura, Sehora, Majholi
3	Sidhi	Rampurnaikin, Churhat, Gopadbanas, Sihawal, Majholi, Kusmi
4	Sagar	Sagar, Rahatgarh, Beena, Khurai, Malthone, Banda, Shahgarh, Garhakota, Rehli, Deori, Kesli.
5	Damoh	Damoh, Hatta, Jabera, Pathariya, Tendukheda, Patera, Batiyagarh
6	Seoni	Seoni, Kurai, Keolari, Chapara, Lakhanadoun, Dhanora, Ghansour
7	Singroli	Singroli, Deosar, Chitrangi, Mada, Sarai
8	Sheopur	Sheopur, Baroda, Vijaypur, Veerpur
9	Chhatarpur	Chhatarpur, Nowgaon, Maharajpur, Rajnagar, Lovkush Nagar, Chandla, Gourihar, Badamalhara, Dhuwara, Bijawar.
10	Bhind	Bhind, Lahar, Ater, Ron, Mehona
11	Panna	Panna, Devendranagar, Gunnaor, Amanganj, Pawai, Simriya, Shahnagar, Repura, Ajaygarh.
<b>Total : 11</b>		<b>82</b>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
K. K. SINGH, Principal Secy.